

email sent
19/07/16

147

कार्यालय
प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
वन विभाग, हरियाणा सरकार,

सी-18, वन भवन, सैक्टर 6, पंचकुला, दूरभाष/फैक्स +91 172 2563988, 2563861, E-mail: cffcpanchkula@gmail.com

क्रमांक: प्रशा-डी-तीन-6713/

1353

दिनांक:

19-7-2016

सेवा में

वन संरक्षक, दक्षिणी परिमण्डल,
गुड़गांव ।

विषय: Diversion of 0.0120 ha. of forest land for access to retail outlet of HPC Ltd. along Hodal-Punhana-Nagina road (MDR 131) RD 12226 M, L/side, Village Singar, under forest division and District Mewat-Nuh, Haryana.

Online Proposal No.FP/HR/Others/18922/2016.

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक प्रशा-डी-तीन-6713/1233 दिनांक 12-7-2016 ।

उपर्युक्त विषय पर आप द्वारा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 की धारा 2 के अधीन अनुमति मांगी गई है जिसमें इस कार्यालय के संदर्भांकित पत्र द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना हो चुकी है ।

2. विभाग के प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् उपर्युक्त विषय हेतु 0.0120 है० वन भूमि के उपयोग के लिए स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर प्रदान की जाती है ।

- (i) वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नहीं जाएगी ।
- (ii) इस प्रस्ताव के अनुसार कोई वृक्ष/पौधा बाधक नहीं है इसलिए कोई वृक्ष/पौधा नहीं काटा जाएगा ।
- (iii) प्रतिपूर्ति पौधारोपण स्कीम के अनुसार Jhir section 4 & 5 area of PLPA में प्रयोक्ता एजेंसी से प्राप्त 17424/- रुपये (सतरह हजार चार सौ चौबीस रुपये) की सी०ए० राशि से 24 पौधे लगा कर किया जाएगा ।
- (iv) प्रतिपूर्ति पौधारोपण इस पत्र के जारी होने की तिथि से एक वर्ष के अन्दर हो जाना चाहिए ।
- (v) प्रतिपूर्ति पौधारोपण के साथ-साथ उपर्युक्त पौधारोपण पहुँच मार्ग, विभाजक द्वीप व अन्य खाली स्थान पर प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्तमान विनियमों के अनुसार किया जाएगा ।
- (vi) प्रवेश एवं निकास को छोड़ कर बाकी हिस्से पर कुछ बूटेदार तथा सजावटी पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए तथा इस भूमि का कोई व्यापारिक प्रयोग नहीं होना चाहिए और न ही इस पर कोई निर्माण कार्य होना चाहिए ।
- (vii) यह अनुमति 15 वर्षों के लिए अर्थात् 18-7-2031 तक वैध होगी, इसके उपरान्त पुनः यह अनुमति सरकार से प्राप्त करनी होगी ।
- (viii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 11-7-2014 को जारी दिशा-निर्देशों का पालन अवश्य किया जाए ।
- (ix) पेट्रोल पम्प की पूरी परिधी (Periphery) पर दीवार से 1.5 मीटर जगह छोड़कर 1.0 से 1.5 मीटर के अन्तराल पर Light Crown पेड़ों का वृक्षारोपण किया जाए ।
- (x) वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाए गए उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा ।

- (xi) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार जब कभी भी एन0पी0वी0 की राशि बढ़ाई जाएगी तो उस बढ़ी हुई एन0पी0वी0 की राशि को केम्पा हरियाणा के लेखा में जमा करवाने के लिए प्रयोक्ता एजैन्सी बाध्य होगी ।
- (xii) साथ लगते वन और वन भूमि को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा और साथ लगते हुए वन और भूमि को बचाने के लिए सभी प्रयत्न किए जाएंगे ।
- (xiii) स्थानान्तरण के लिए प्रस्तावित वन भूमि को राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी परिस्थिति में किसी अन्य एजैन्सी, विभाग या व्यक्ति विशेष को हस्तान्तरित नहीं किया जाएगा ।
- (xiv) राज्य सरकार की अनुमति के बिना प्रस्ताव की ले आउट प्लान को बदला नहीं जाएगा ।
- (xv) वन भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई श्रमिक शिविर नहीं लगाया जाएगा ।
- (xvi) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वांछित भूमि संरक्षण पैमाने उपयोग किए जाएंगे, जिसके लिए प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा वर्तमान दरों पर धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी ।
- (xvii) प्रयोक्ता एजैन्सी द्वारा श्रमिकों तथा कार्यस्थल पर कार्यरत स्टाफ को अधिमानतः वैकल्पिक ईंधन उपलब्ध करवाया जाएगा ताकि साथ लगते वन क्षेत्र को किसी प्रकार के नुकसान तथा दबाव से बचाया जा सके ।
- (xviii) प्रयोक्ता एजैन्सी राज्य के मुख्य वन्य जीव संरक्षक द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार उस क्षेत्र के वनस्पति और प्राणी समूह के संरक्षण तथा परिरक्षण में राज्य सरकार की सहायता करेगी ।
- (xix) स्थानान्तरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे लिखे गए कम संख्या वाले 4 फीट ऊँचे सीमेन्ट के खम्भों द्वारा चिह्नित की जाएंगी ।
- (xx) कूड़ा कर्कट निपटान वन विभाग द्वारा जारी योजना के अनुसार किया जाएगा ।
- (xxi) अन्य कोई भी शर्त इस कार्यालय द्वारा वन तथा वन्य जीवों के संरक्षण, सुरक्षा तथा विकास हेतु समय-समय पर लगाई जा सकती है ।
- (xxii) प्रयोक्ता एजैन्सी उपरोक्त शर्तों की वार्षिक स्व-अनुपालना रिपोर्ट प्रधान मुख्य वन संरक्षक हरियाणा को नियमित रूप से भेजेगी ।
- (xxiii) यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता एजैन्सी की जिम्मेवारी होगी ।
3. राज्य सरकार इस स्वीकृति को स्थगित/रद्द कर सकती है यदि उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं है । वन मण्डल अधिकारी इन शर्तों का पालना सुनिश्चित करेगा ।

नोडल आफिसर एवं वन संरक्षक (एफ0सी0),
कृते: प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा,
पंचकुला ।

प्रतिलिपि :-

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उत्तर क्षेत्रीय कार्यालय, बेज नं0 24-25, सैक्टर-31-ए, चण्डीगढ़ ।
2. वन मण्डल अधिकारी, मेवात-नूँह ।
3. Senior Sales Manager, HPC Ltd., Faridabad.